ऑन लाईन नं.GCMS2023/99

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 51/2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री संजय कुमार पुत्र राजाराम –(खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक)–
मै0 दूध विक्रेता, गांव गुममजाल, थाना खुईयों सरवर जिला फाजिल्का (पंजाब)

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांक : 24.05.2024**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः–एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः–आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.02.2023 को दोपहर पूर्व 9.30 ए.एम को साधुवाली चैंक पोस्ट के पास, श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर पाया कि **श्री संजय कुमार पुत्र श्री राजाराम (दूध विक्रेता, गुमजाल, थाना खुईयों सरवर, जिला फाजिल्का पंजाब)**, **दूध** विक्रय करता पाया गया। **श्री संजय कुमार पुत्र श्री राजाराम (दूध विक्रेता, गुमजाल, थाना खुईयों सरवर, जिला फाजिल्का पंजाब), को अपना परिचय देकर दूध के बारे में जानकारी चाही** इस पर विक्रेता ने स्वंय को वाहन (मोटरसाईकिल पीबी 15–सी–9296) को अपना परिचय देकर **दूध** के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वयं को वाहन संख्या (मोटरसाईकिल पीबी 15–सी–9296) का मालिक बताया तथा वाहन पर रखें सिल्वर केन के अन्दर 40 किलो **खाद्य पदार्थ गाय का दूध को आमजन** के बेचान वास्ते होना बताया। जिसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से गाय का दूध नमूना जांच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दूध विक्रेता का निरीक्षण आम जनता के विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **गाय का दूध** को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **गाय का दूध** का नगद भुगतान 80/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे **श्री संजय कुमार पुत्र श्री राजाराम** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **श्री संजय कुमार पुत्र श्री राजाराम** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गाय का दूध** 2 लीटर को बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। 4 बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1648** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1648** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा **श्री संजय कुमार पुत्र श्री राजाराम** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस / 146 / एक्ट / 2023 / 146 दिनांक 24.02.2023 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–1648 **Sub-standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री संजय कुमार पुत्र श्री राजाराम दूध विक्रेता, गांव गुमजाल, थाना खुईयों सरवर जिला फाजिल्का** द्वारा **Sub-standard Food, Cow Milk** का विक्रय किये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 15.05.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जवाब पेश नहीं किया एवं बहस हेतु निवेदन किया गया।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **गाय का दूध** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस / 146 / एक्ट / 2023 / 146 दिनांक 24.02.2023 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–1648 **Sub-standard Food** होना पाया गया, उक्त जांच रिपोर्ट पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी संजय कुमार पुत्र श्री राजाराम दूध विक्रेता, गांव गुमजाल, थाना खुईयों सरवर जिला फाजिल्का (पंजाब) का रहने वाला है। प्रार्थी द्वारा विक्रय किये जा रहे गांय के दूध की जांच की गई तो गाय का दूध **sub-standard Food** पाया गया है। प्रार्थी द्वारा गांय का दूध गांव गुमजाल से घर–घर से खरीदकर विक्रय किया जाता है। प्रार्थी भविष्य में **गांय का दूध** खरीदते समय उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखेगा। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। कृप्या प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए कम से कम आर्थिक दण्ड लगाने की कृप्पा करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Mirch Powder (अग्रवाल ब्राण्ड)" bearing Code No and Sr. No. K-1648, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations,2011.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **श्री संजय कुमार पुत्र श्री राजाराम दूध विक्रेता, गांव गुमजाल, थाना खुईयों सरवर जिला फाजिल्का** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री संजय कुमार पुत्र श्री राजाराम दूध विक्रेता, गांव गुमजाल, थाना खुईयों सरवर जिला फाजिल्का** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 15,000–00 (अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **श्री संजय कुमार पुत्र श्री राजाराम दूध विक्रेता, गांव गुमजाल, थाना खुईयों सरवर जिला फाजिल्का** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)